(173)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : के0सी0जैन

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 110–दो/2009 – विरूद्ध आदेश दिनांक 24–10–2008 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 419/2007–08 निगरानी

उपेन्द्रमणि पुत्र रामप्रकाश मिश्र
ग्राम पटना तहसील रामपुर जिला सीधी --आवेदक

विरूद्ध

1– कोशलप्रसाद (मृतक) पुत्र ठाकुरदीन

वारिस

1. जगमोहन 2. रमाकॉत 3– सूर्यप्रकाश
4. दयाशंकर 5. श्रीमान त्रिपाठी
सभी पुत्रगण स्व. कोशलप्रसाद निवासीगण
ग्राम गडहरा तहसील रामपुर नैकिन
जिला सीधी मध्य प्रदेश

6–श्रीमती शांति पाण्डेय पुत्री कोशलप्रसाद
पत्नि चंद्रिकाप्रसाद पता पुलिस लाइन के
पीछे सुभाषनगर शहडौल जिला शहडौल

7– श्रीमती मीरा पाण्डेय पुत्री स्व. कौशलप्रसाद
पत्नि शारदा पाण्डेय निवासी ग्राम भगराज
तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

2- तेजाराम पुत्र नन्दकुमार (मृतक) वारिस अज्ञात

3- महिला सुधा देवी पत्नि स्व. ज्ञानिका प्रसाद
ग्राम कटियाझर तहसील रामपुर नैकिन
जिला सीधी मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)

आ दे श

(आज दिनांक 17 - 08 -2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 419/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24-10-2008 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम पटना की भूमि सर्वे नंबर 246 रकबा 0.38, 518 रकबा 0.07,511 रकबा 0.05, 514 रकबा 0.05, 522 रकबा 0.02, 741 रकबा 0.05, 742 रकबा 0.023, 743 रकबा 0.21, 744 रकबा 0.05, 901 रकबा 0.51, 902 रकबा 0.04, 1060 रकबा 1.05, 1061 रकबा 0.10, 1219 रकबा 0.04, 1225 रकबा 0.09, 1351 रकबा 0.18 कुल किता 16 कुल रकबा 3.21 हैक्टर के उपेन्द्रमणि, तेजाराम, महिला सुधा देवी पत्नि ज्ञानिका प्रसाद तथा इसी भूमि के हिस्सा 1/3 के सहभूमिस्वामी हरदर्शन सिंह मिश्रा है। कौशल प्रसाद ने अपने जीवनकाल में नायव तहसीलदार रामपुर नैकिन के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 115, 116 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर स्वर्गीय हरदर्शन सिंह मिश्रा के हिस्सा 1/3 की भूमि पर कब्जा दर्ज करने की मांग की,

जिसकी प्रचलनशीलता पर आपत्ति आने पर नायव तहसीलदार रामपुर नैकिन ने प्रकरण कमांक 14/अ-6-अ/ 2004-05 में पारित आदेश दिनांक 7-8-2007 से निर्णीत किया कि यह साक्ष्य एंव न्यायालय व्दारा स्वंय् स्थल जॉच के उपरांत सिद्ध हो सकेगा। ऐसी स्थिति में उभय पक्षों के लिये न्याय हित में यह उचित मानता हूँ कि प्रकरण में आवश्यक जॉच की जावे तथा साक्ष्य हेतु दिनांक 28-8-2007 को प्रकरण नियत किया। नायव तहसीलदार के इस अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर सीधी के समक्ष निगरानी प्रस्तुत होने पर प्रकरण कमांक 33/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29-9-07 से निगरानी निरस्त कर दी गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 419/ 2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24-10-2008 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर विचार योग्य है कि क्या न्यायालय में प्रस्तुत दावा बिना जॉच किये तथा वास्तविकता जाने वगैर आपत्ति मात्र के आधार पर खारिज किया जा सकता है अथवा नहीं। प्रकरण की प्रचलनशीलता के सम्बन्ध में आपत्ति आवेदन पर नायव तहसीलदार रामपुर नैकिन व्दारा प्रकरण कमांक 14अ-6-अ/2004-04 में अंतरिम आदेश दिनांक 7-8-07 में निम्नानुसार निर्णय लिया है :-

" यह साक्ष्य एंव न्यायालय व्दारा स्वंय् स्थल जॉच के उपरांत सिद्ध हो सकेगा। ऐसी स्थिति में उभय पक्षों के लिये न्याय हित में यह उचित मानता हूॅ कि प्रकरण में आवश्यक जॉच की जावे। ''

नायव तहसीलदार के उक्तानुसार अंतरिम आदेश दिनांक 7-8-07 को अपर कलेक्टर सीधी ने प्रकरण कमांक 33/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29-9-07 से उचित ठहराया है इसी प्रकार अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 419/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24-10-08 से नायव तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 7-8-07 को तथा अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 29-9-07 को उचित ठहराया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के अवलोकन से उनके व्दारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 419/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24-10-2008 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है एवं निगरानी निरस्त की जाती है।

(के0सी0जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर